टीएस ठाकुर मुख्य न्यायमूर्ति जसबीर सिंह न्यायमूर्ति और सूर्या कांत न्यायमूर्ति के समक्ष

न्यायालय स्वप्रेरणा से

याचिकाकर्ता

बनाम

वी बीआईएस चहल

प्रतिवादी

2005 का सीआरएल.ओसीपी नंबर 1
निर्णय की तिथि: 29 मई, 2009.

न्यायालयों के अधिनियम, 1971-5.2 — के पदों की भर्ती D.S.P. खेल कोटा के खिलाफ चुनौती दी गई — उच्च न्यायालय निर्देशन राज्य चयन से संबंधित मूल रिकॉर्ड बनाने के लिए — राज्य उत्पादन गृह विभाग के रिकॉर्ड की अधूरी और फोटोस्टेट कॉपी- - खेल और युवा सेवा विभाग के रिकॉर्ड को रोकना — सीएम के मीडिया सलाहकार का बेटा चयनित उम्मीदवारों में से था — आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करना, हस्तक्षेप करना और बाधा डालने का प्रयास करना न्याय का प्रशासन और कानून की उप-प्रक्रिया प्रक्रिया — एक स्पष्टीकरण से पहले बिना शर्त माफी जारी करना — कानून की महिमा के लिए सम्मान का प्रदर्शन करने* **अवमाननाकर्ता** ***ने हस्तक्षेप करने और प्रक्रिया में बाधा डालने का दोषी ठहराया न्यायिक कार्यवाही और न्याय का प्रशासन उसके कार्य द्वारा

खेल विभाग के रिकॉर्ड के उत्पादन को रोकना — सात दिन' जुर्माना लगाने के दौरान

नागरिक कारावास से सम्मानित किया गया रुपये। उस पर एक लाख.

अभिनिर्धारित किया गया कि यह वास्तव में विवाद में नहीं है कि किसी मामले में उचित और उचित निर्णय को रोकने के लिए कानून की अदालत के समक्ष रिकॉर्ड पेश करने के खिलाफ जानबूझकर और जानबूझकर बाधा, न्यायिक कार्यवाही के उचित पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने के साथ-साथ न्याय के प्रशासन में बाधा पैदा करने के समान है और इस तरह का कार्य स्पष्ट रूप से अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 2 (सी) (2) और (iii) के तहत आता है। (पैरा 9)

यदि बचाव पक्ष की याचिका को इस न्यायालय में समर्थन नहीं मिलता है, तो अवमाननाकर्ता चाहता है कि उसकी बिना शर्त माफी स्वीकार की जाए। दूसरे, बिना शर्त माफी न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन और उल्लंघन का पूर्ण उत्तर नहीं है, खासकर तब जब अवमाननापूर्ण कार्रवाई जानबूझकर की गई हो। एक जिम्मेदार सार्वजनिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति द्वारा डिज़ाइन किया गया। हम इन अवमानना कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी-आलोचनाकर्ता के आचरण का उल्लेख करने की अनदेखी नहीं कर सकते। (पैरा 29)

आगे अभिनिर्धारित किया कि इसके अलावा, यह माना गया कि इस न्यायालय की 'आपराधिक अवमानना' का दोषी पाए जाने से पहले या बाद में विचारक द्वारा मांगी गई कथित बिना शर्त माफी 'क्षोभ' या 'अच्छी कृपा' का कार्य नहीं है। इस तरह की माफ़ी, अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई रक्षा के एक भाग के रूप में, अक्सर एक प्रतिशोधी न्यायालय के भावुक और न्यायसंगत दृष्टिकोण को जगाने के लिए रखी जाती है ताकि दंडात्मक कार्यवाहियों के निवारक परिणामों से बचा जा सके। हम 17 दिसंबर, 2009 के हलफनामे में भी किसी पश्चाताप या सच्चे पश्चाताप का पता लगाने में असमर्थ हैं और अवमाननाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथाकथित बिना शर्त माफी को अस्वीकार करते हैं। (पैरा 56)

आगे अभिनिर्धारित किया गया की सजा के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। आपराधिक न्यायशास्त्र के एक अभिन्न अंग के रूप में सजा का मतलब गलत करने वाले को सुधारने और समाज के लिए एक निवारण के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करना है। सजा का अधिकार क्षेत्र दोनों को हासिल करने के लिए तरसता है, इसलिए,

प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर 'हिरासत' या 'आर्थिक' सजा की मात्रा अलग-अलग हो सकती है। (पैरा 58)

अनूपम गुप्ता, एडवोकेट, एमिकस क्यूरिया.

अमोल रतन सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, पंजाब.

राजीव अत्मा राम, वरिष्ठ अधिवक्ता के. एस. नलवा एडवोकेट, प्रतिवादी-प्रवर्तक के लिए.

<u>आदेश</u>

<u>सूर्य कांत,न्यायमूर्ति ।</u> -

ये *स्वत: संज्ञान* अवमानना कार्यवाही किस वजह से शुरू हुई है?

न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने और बाधा डालने के उद्देश्य से इस न्यायालय के समक्ष मूल आधिकारिक रिकॉर्ड के उत्पादन को रोकने का प्रयास।

[2]. निम् नलिखित तथ् यों का एक संक्षिप् त संदर्भ इन कार्यवाहियों की प्रकृति और व् यापक ता की सराहना करने में सहायक होगा :-

[a]. 7 फरवरी, 2004 को गृह मामले और न्याय विभाग, पंजाब सरकार ने एक विज्ञापन जारी कर उत्कृष्ट खिलाड़ियों से पुलिस उपाधीक्षक के 7 पूर्व कैडर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए।. भर्ती एक चयन समिति द्वारा की जानी थी जिसमें (i) प्रधान सचिव, गृह (ii) प्रधान सचिव, खेल और (iii) पुलिस महानिदेशक, पंजाब शामिल थे। पात्र उम्मीदवारों को 13-2-2004 को अपने मूल प्रमाणपत्रों के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया गया था जिसे बाद में 17-2-2004 तक स्थगित कर दिया गया था और उसी दिन चयन को अंतिम रूप दिया गया था। चयनित उम्मीदवारों को 24-02-2004 को नियुक्तियों की पेशकश की गई थी, इस प्रकार, पूरी चयन प्रक्रिया 17 दिनों की अवधि के भीतर समाप्त हो गई।

[b]. रिट याचिकाओं के दो सेट, एक - विज्ञापन को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका और दूसरा चयन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद असफल उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई, को एक साथ जोड़ दिया गया और सुनवाई के लिए इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष रखा गया।. दिनांक 27-02-2004 को राज्य को प्रत्येक मामले में अलग-अलग उत्तर दाखिल करने के बजाय एक समेकित लिखित विवरण दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए पीठ ने राज्य को सुनवाई की अगली तारीख पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करने का निदेश दिया। वर्ष 2004 के सीडब्ल्यूपी सं 3662 में पारित दिनांक 4-3-2004 के एक अन्य आदेश के तहत पीठ ने निर्देश दिया कि चयन से संबंधित पूरे रिकॉर्ड को सील कर दिया जाए और उसी दिन महाधिवक्ता, पंजाब को उपलब्ध कराया जाए ताकि इससे छेड़छाड़ की किसी भी संभावना को खारिज किया जा सके।. यह ध्यान में रखते हुए कि सार्वजनिक महत्व के कानून के विभिन्न प्रश्न शामिल थे, इन मामलों को पूर्ण पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था।

[c]. 20 मई, 2004 को, कुछ अतिरिक्त दस्तावेज पेश किए गए थे, पंजाब सरकार द्वारा सीलबंद लिफाफे में और उसे खोलने पर यह पता चला कि प्रस्तुत रिकॉर्ड न तो मूल था और न ही पूर्ण था। रिकॉर्ड पेश करने के लिए एक और अवसर मांगा गया और दिया गया। 25 मई, 2004 को, राज्य के वकील ने सात फाइलें पेश कीं, जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया गया, अवलोकन किया गया और फिर राज्य के वकील को अदालत को संबोधित करने में सक्षम बनाने के लिए वापस कर दिया गया क्योंकि मामलों को लगातार मेरिट के आधार पर सुना जा रहा था।.

[d]. यहां यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि गृह विभाग के रिकॉर्ड की अधूरी और फोटोस्टेट कॉपी प्रस्तुत करते समय, प्रतिवादियों द्वारा खेल और युवा सेवा विभाग के रिकॉर्ड को रोक दिया गया था, हालांकि उक्त रिकॉर्ड का मामले के गुण-दोष पर कुछ असर था।

[e]. 29 मई, 2004 को खेल विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव श्री डीएस लोंगिया ने इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के *साथ-साथ* यह दावा किया गया कि उन्होंने फाइल (खेल विभाग की) पंजाब के वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री बी.बी.एस.सोबती को 28.5.2004 को सुबह लगभग 9.55 बजे अदालत

कक्ष संख्या 1 में दी थी पीठ के समक्ष इसे प्रस्तुत करने के लिए और यह कि वह 29-5-2004 को समाचार पत्रों की रिपोर्टों को पढ़कर आश्चर्यचकित थे कि उक्त मूल फाइल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी। श्री लोंगिया ने अपने उपरोक्त आवेदन के साथ खेल विभाग की उक्त फाइल के संबंधित कागजात की फोटो प्रतियां भी संलग्न की।

[f]. चूंकि श्री लोंगिया ने सही तथ्यात्मक स्थिति की पुष्टि किए बिना अदालत के कर्मचारियों के खिलाफ आक्षेप भी लगाए थे, इसलिए पीठ ने *संविधान के* अनुच्छेद 215 के तहत अपनी शक्तियों का स्वत: संज्ञान लिया और श्री लोंगिया को यह बताने के लिए नोटिस जारी किया कि उन पर अदालत की आपराधिक अवमानना करने का आरोप क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

[g].जितनी जल्दी अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई, 7 जुलाई, 2004 को सुनवाई करते हुए, रिट याचिकाकर्ताओं के एक विद्वान वकील ने 24.5.2004 के डेमी आधिकारिक पत्र की एक फोटो कॉपी रिकॉर्ड पर लाने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे पंजाब सरकार के खेल और युवा सेवा विभाग के तत्कालीन मंत्री श्री जगमोहन सिंह कंग ने मुख्यमंत्री, पंजाब को संबोधित करते हुए शिकायत की थी कि बीआईएस चहल, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने खेल सचिव को फोन किया था और उन्हें निर्देश दिया था कि वह इस अदालत के समक्ष खेल विभाग का मूल रिकॉर्ड पेश न करें और इस आशय का बयान भी दें कि विभाग की हिरासत में कोई अन्य संबंधित फाइल या कागज नहीं पड़ा है। डेमी के आधिकारिक पत्र से पता चला है कि जब संयुक्त सचिव (श्री लोंगिया) अभी भी अदालत में थे, बीआईएस चहल ने फाइल लाने के लिए उन्हें सेल फोन पर बुलाया और उन्हें परिणाम भुगतने की धमकी दी। मंत्री महोदय ने खेद व् यक् त किया कि श्री चहल न केवल उस विभाग के कामकाज में हस् तक्षेप कर रहे हैं, जहां उनका *कोई अधिकार* क्षेत्र नहीं है, बल्कि न् यायिक प्रणाली में भी हस् तक्षेप कर रहे हैं।

[h] इस स्तर पर यह उल्लेख करना उचित है कि बीआईएस चहल उस समय मुख्यमंत्री, पंजाब के मीडिया सलाहकार थे और उनके बेटे (बिक्रमजीत इंदर सिंह चहल) का नाम खेल कोटा

के खिलाफ डीएसपी के पदों पर नियुक्त होने के लिए चुने गए सात उम्मीदवारों में शामिल था।

[i] इस बीच, तत्कालीन संयुक्त सचिव श्री लोंगिया ने दिनांक 1.7.2004 को अपना जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने "*28 मई, 2004 को सुबह लगभग 9.55 बजे अदालत में कानून अधिकारी श्री सोबती को फाइल सौंपी थी...*" और यह कि "*संबंधित कानून अधिकारी को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, रिकॉर्ड उस दिन अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया था। फाइल को होल्ड करने की कोशिश की गई। प्रतिवादी इससे सहमत नहीं थे। कई बार आरोपी को अदालत कक्ष में श्री बीबीएस सोबती के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए कहा गया था और एक बार, आरोपी को अदालत कक्ष से बाहर आने के लिए कहा गया था और इस मामले पर श्री सोबती के साथ चर्चा की गई थी, जब आरोपी ने स्पष्ट रूप से उन्हें बताया कि उन्होंने अदालत और संबंधित मंत्री के निर्देशों का पालन किया है, जिन्होंने विशेष रूप से सोबती को रिकॉर्ड सौंपने का निर्देश दिया था की अदालत के समक्ष पेश किया जाए* (जोर दिया गया)

[j] इस प्रकार, यह पता चला कि खेल विभाग के प्रभारी मंत्री ने इस न्यायालय के समक्ष मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का एक सचेत निर्णय लिया था। ये अभिलेख वास्तव में श्री डी.एस.लोंगिया के माध्यम से भेजे गए थे, जिन्होंने उन्हें 28.5.2004 को सुबह 9.55 बजे वरिष्ठ अतिरिक्त एजी को सौंप दिया था, लेकिन उन्हें अभी भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। खेल विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री को कथित रूप से संबोधित डेमी आधिकारिक पत्र और श्री लोंगिया द्वारा दिनांक 1-7-2004 को दायर किए गए जवाबी हलफनामे में किए गए खुलासे यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त थे कि किसी बाहरी ताकतों ने श्री सोबती पर मूल रिकॉर्ड को अदालत से दूर रखने की सफल साजिश रची, रोका और उस पर हावी किया।

[k] रिट-याचिकाकर्ताओं ने खेल विभाग के कुछ दस्तावेजों/नोटिंग की फोटोस्टेट प्रतियों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए एक और विविध आवेदन दायर किया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि उन्हें मेल के माध्यम से उनके वकील द्वारा प्राप्त किया गया था। एडवोकेट जनरल,

पंजाब को उन दस्तावेजों की वास्तविकता की जांच करने के लिए समय दिया गया था और इसके जवाब में, श्री डीएस बैंस, आईएएस, सचिव, खेल और युवा सेवाएं, पंजाब ने अपना हलफनामा दायर किया, जिसमें उन फोटोस्टेट प्रतियों की सामग्री को स्वीकार किया गया, हालांकि उनके अनुसार, नोटिंग आंतरिक मामले थे और इस न्यायालय के समक्ष लंबित विवाद के लिए अप्रासंगिक थे।

[1].इन अपुष्ट दस्तावेजों/कार्यालय-नोटिंग में निम्नलिखित शामिल थे दिनांक 28 और 29 मई, 2004 के निम्नलिखित कार्यालय नोट्स:-

"*मैंने यह फाइल खेल विभाग के सहायक पाल सिंह से मंगाई है, जब मुझे 27/5 को शाम 6.00 बजे सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल श्री सोबती का फोन आया। श्री सोबती ने मुझे सूचित किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने डीएसपी भर्ती मामले में खेल विभाग का रिकार्ड तलब किया है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि इसे कल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।*

<u>लगभग आधे घंटे बाद मुझे मीडिया सलाहकार श्री बी.आई.एस चहल का फोन आया, जिन्होंने मुझे माननीय न्यायालय के समक्ष इस फाइल को पेश नहीं करने के लिए कहा।. उन्होंने कहा कि खेल विभाग को यह बताना चाहिए कि उसके पास कोई कागजात नहीं है और सभी संबंधित कागजात पहले ही माननीय न्यायालय के समक्ष रखे जा चुके हैं।</u>

चूंकि कैबिनेट की बैठक शाम 6.30 बजे के लिए तय की गई थी। मैंने कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले खेल मंत्री के साथ इस मामले पर संक्षिप्त चर्चा की।

आज सुबह, ट्रिब्यून ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि हमारी फाइल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तलब की गई है। परस्पर विरोधी मांगों के बारे में चिंतित महसूस करते हुए मैंने मुख्य सचिव, पी.एस.सी.एम.

सी.एस. ने मुझे सलाह दी कि अदालत के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए और मुझे खेल मंत्री से आदेश प्राप्त करने के बाद इस फाइल को माननीय न्यायालय को भेजना चाहिए। हमें इस मामले में विशेषाधिकार का दावा करना चाहिए।

यह आदेश के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

एसडी/- (डी.एस. बैंस) 28.5.2004

एस.एम.

<u>चूंकि हमारी (खेल विभाग) फाइल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एजी कार्यालय के माध्यम से तलब की गई है, इसलिए हमें हर तरह से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए।</u>

<u>मैंने अपने विभाग में श्री बीआईएस चहल के इस दुर्भाग्यपूर्ण हस्तक्षेप को पी.एस.सी.एम. के ध्यान में लाया है और उनसे माननीय मुख्यमंत्री को यह बताने का अनुरोध किया है कि श्री चहल ने सचिव और संयुक्त सचिव खेल को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल और अन्य रिकॉर्ड न रखने की सलाह दी है। यह सर्वविदित है कि श्री चहल के बेटे को डीएसपी नियुक्त किया गया है।</u>

इसके बाद मुझे लगा कि इस मामले पर पंजाब के एजी श्री हरभगवान सिंह और सीएस के साथ चर्चा करने की आवश्यकता है कि हमें उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए।

पूरी फाइल की फोटो कॉपी लेने के बाद समय पर फाइल जमा की जाए।

एसडी/- (जे.एस. कांग) 28.5.04 एसएसवाईएस
एसडी/- (डी.एस. बैंस) 28.5 9.35 बजे
JSSYS

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में फाइल सुबह 9.55 बजे वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सोबती को सौंपी गई।

एसएसवाईएस कृपया जानकारी के लिए देख सकते हैं।

एसडी/- (डी.एस. लौंगिया) 29.5.04

एसएसवाईएस" (जोर लागू)

[m] उपरोक्त संदर्भित कार्यालय रिकॉर्ड ने मुख्यमंत्री के तत्कालीन मीडिया सलाहकार बीआईएस चहल और श्री लोंगिया के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत का खुलासा किया, जिससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री ने न केवल लोंगिया को इस अदालत के समक्ष रिकॉर्ड पेश नहीं करने का निर्देश दिया, बल्कि श्री लोंगिया को इसके विपरीत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।

[n] अंत में, 7 जुलाई, 2004 को पंजाब के तत्कालीन वरिष्ठ अतिरिक्त एजी श्री सोबती ने एक सीलबंद लिफाफे में कुछ सामग्री प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया था कि खेल विभाग का जो भी रिकॉर्ड उन्हें सौंपा गया था, उसे प्रस्तुत किया गया था।.

[3] प्रथम दृष्टया *संतुष्ट होने पर* कि यह बीआईएस चहल था (इसके बाद अवमाननाकर्ता के रूप में संदर्भित) जिसने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था और न्याय प्रशासन में स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप किया था और कानून की प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया

था, कि इस न्यायालय ने 15 अक्टूबर, 2004 के अपने आदेश के तहत उनके स्पष्टीकरण के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया।

[4]. उसी दिन, पूर्ण पीठ ने मुख्य मामले में भी अपना फैसला सुनाया और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित डीएसपी के पदों पर चयन को रद्द करते हुए, खेल विभाग के रिकॉर्ड को प्रस्तुत न करने के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"*चूंकि, इन रिट याचिकाओं में नोटिस जारी करते हुए, इस अदालत ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि डीएसपी के चयन और नियुक्तियों के संबंध में "पूरे रिकॉर्ड" को सीलबंद कवर में रखा जाएगा और एडवोकेट जनरल, पंजाब की हिरासत में रखा जाएगा, शुरू में हमारे पास संदेह करने का कोई कारण नहीं था कि "पूरे रिकॉर्ड" में स्पष्ट रूप से खेल विभाग के रिकॉर्ड भी शामिल होंगे। हालांकि, जब हमारी उपस्थिति में रिकॉर्ड तैयार किए गए और सील नहीं किए गए, तो हमने पाया कि खेल विभाग के रिकॉर्ड वहां नहीं थे। हमने पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील की ओर से इन रिकॉर्डों को पेश करने में एक बड़ी अनिच्छा भी देखी, जिसका विस्तृत संदर्भ अलग-अलग कार्यवाही में दिया गया है। तथापि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि विलंब करने की एक या दूसरी रणनीति, अनिच्छा और/या लचर बहाने अपनाने के बाद, खेल विभाग के कुछ रिकॉर्ड हमारे सामने प्रस्तुत किए गए थे।*

...." (जोर दिया गया)

[5] अवमाननाकर्ता ने दिनांक 3-1-2005 को अपना जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* कहा गया कि चूंकि उन्होंने खेल कोटे से डीएसपी के चयन के संबंध में तत्कालीन खेल और युवा सेवा मंत्री जगमोहन सिंह कंग से कभी बात नहीं की थी या शब्दों का आदान-प्रदान नहीं किया था, इसलिए दोनों दस्तावेज, डीओ पत्र जो कथित तौर पर श्री जगमोहन सिंह कंग द्वारा लिखे गए थे और उनके द्वारा रिकॉर्ड किए गए कार्यालय नोटिंग स्पष्ट रूप से सुनी-सुनाई सामग्री पर आधारित हैं।" अवमाननाकर्ता ने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने रिकॉर्ड पेश करने के मुद्दे पर खेल के तत्कालीन संयुक्त सचिव डीएस लोंगिया से कोई बात की थी या अदालत में रिकॉर्ड पेश करने की स्थिति में उन्हें चेतावनी दी थी या धमकी दी थी। अवमाननाकर्ता ने आगे कहा है कि खेल मंत्री का कथित अर्ध-आधिकारिक पत्र पंजाब के मुख्यमंत्री के कार्यालय में कभी प्राप्त नहीं हुआ, जैसा कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा

सत्यापित किया गया था। खेल और युवा सेवा विभाग के तत्कालीन सचिव श्री डीएस बैंस के साथ उनकी बातचीत के संबंध में, हलफनामे के पैरा 5 (वी) में कहा गया है: –

"*c) घटनाओं का सही क्रम यह है कि दिनांक 27-05-2004 को शाम लगभग 500 बजे श्री देविंदरजीत सिंह दर्शी, जग बानी नामक एक पत्रकार ने सूचित किया कि माननीय उच्च न्यायालय में डीएसपी चयन से संबंधित सरकार द्वारा खेल विभाग के संगत रिकार्ड को प्रस्तुत न किए जाने के बारे में काफी हंगामा हो रहा है। वह उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया जानना चाहता था। आरोपी अदालत में कार्यवाही के विवरण से पूरी तरह अनजान था। हालांकि, मीडिया सलाहकार होने के नाते, वह इस मुद्दे के संभावित मीडिया कवरेज के बारे में चिंतित* था ।

d इस मामले को देखते हुए आरोपी ने श्री डीएस बैंस को शाम 5.51.31 बजे अपने लैंडलाइन टेलीफोन नंबर 2742556 से फोन किया। उन्होंने श्री बैंस से उनके सेल फोन नंबर 9814411188 पर संपर्क किया। उन्होंने रिकॉर्ड के उत्पादन न करने पर प्रेस में संभावित आलोचना के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की।. बैंस ने कहा कि चयन से संबंधित मुख्य फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में पड़ी है या ट्रांजिट में है, लेकिन खेल विभाग में कुछ नोटिंग दर्ज की गई थी, जिसे श्री बैंस ने पार्ट फाइल के रूप में संदर्भित किया था। श्री बैंस ने यह भी सूचित किया कि ये नोटिंग विशुद्ध रूप से विभाग के भीतर संचार थे और चयन प्रक्रिया के लिए किसी भी तरह से प्रासंगिक नहीं थे। श्री बैंस ने इस मामले में विशेषाधिकार का दावा करने की वांछनीयता पर भी प्रकाश डाला। उस स्तर पर, प्रतिवादी ने लापरवाही से कहा कि अदालत के आदेशों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए और यदि विभाग कानूनी रूप से विचाराधीन रिकॉर्ड पेश करने के लिए बाध्य नहीं है, तो भी विशेषाधिकार का दावा करते हुए एक उचित कानूनी रास्ता अपनाया जाना चाहिए...

[6]. इस प्रकार, अवमाननाकर्ता ने श्री बैंस के दिनांक 28.5.2004 के कार्यालय-नोट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने श्री बैंस को इस न्यायालय के समक्ष प्रासंगिक फाइलें पेश करने के लिए कहा था, जब तक कि विशेषाधिकार का दावा नहीं किया जा रहा था, क्योंकि वह रिकॉर्ड पेश न करने पर प्रेस में संभावित आलोचना से चिंतित थे।

अवमाननाकर्ता ने श्री लोंगिया के हलफनामे पर भी भरोसा किया है कि 28-5-2004 को सुबह 9.55 बजे श्री सोबती (वरिष्ठ अतिरिक्त एजी) के सेल फोन के माध्यम से उनके बीच किसी भी बातचीत से इनकार किया गया था।

[7].इसके बाद अवमाननाकर्ता ने दिनांक 30-01-2008 को एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है जिसमें उसने बिना शर्त माफी मांगने का दावा किया है।

[8]. जब हमने 5-12-2008 को न्यायमित्र और अवमाननाकर्ता के वकील को विस्तार से सुना और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, तो अवमाननाकर्ता ने आगे की दलीलें देने की अनुमति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। हमने न्याय के हित में उनके विद्वान वरिष्ठ वकील को फिर से सुना है और उनकी लिखित प्रस्तुतियों को भी रिकॉर्ड में लिया है। पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने नोटिंग-फाइलों सहित खेल विभाग के रिकॉर्ड भी पेश किए।

[9]. यह वास्तव में विवाद में नहीं है कि किसी मामले में उचित और उचित निर्णय को रोकने के लिए कानून की अदालत के समक्ष रिकॉर्ड पेश करने के खिलाफ जानबूझकर और जानबूझकर बाधा, न्यायिक कार्यवाही के उचित पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने के साथ-साथ न्याय के प्रशासन में बाधा पैदा करने के समान है और इस तरह का कार्य स्पष्ट रूप से अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 2 (सी) (2) और (iii) के तहत आता है। । 'आपराधिक अवमानना' शब्द किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्य को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है जो न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या जो अदालत के अधिकार को कम करेगा।. न्याय के प्रभावोत्पादक और अनुल्लंघनीय प्रशासन में जनता की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।. जो लोग न्याय की अदालत में कर्तव्यों का पालन करते हैं, उन्हें उनके प्रवचन के लिए कानून द्वारा संरक्षित और परिरक्षित किया जाता है। अदालत के अंदर और/या बाहर ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप 'आपराधिक अवमानना' के समान होगा, जिसके लिए इस तरह के आचरण का गंभीर संज्ञान लेना आवश्यक है। बिना किसी शर्त के कानून की उचित प्रक्रिया को पार करने के लिए जानबूझकर किए गए एक दूषित कार्य के प्रति उदासीन दृष्टिकोण, वास्तव में गलत काम करने वालों के लिए प्रीमियम होगा, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने **राम औतार शुक्ला बनाम अरविंद शुक्ला मामले**[1]

[1] 1995 Supp.(2) SCC 130

में कहा था।. जहां किसी व्यक्ति का आचरण कानून के अधिकार और प्रशासन को बदनाम करता है या उपेक्षा करता है या जनता को हस्तक्षेप और पूर्वाग्रह से ग्रस्त करता है, तो यह उसे अधिनियम के तहत परिभाषित 'आपराधिक अवमानना' का दोषी ठहराएगा। ऐसे मामले में, इरादा या मकसद मानदंड नहीं है, हालांकि इसका सजा के शमन या उत्तेजना के लिए कुछ असर हो सकता है, जैसा कि मामला हो सकता है। [संदर्भ: **दिल्ली विकास प्राधिकरण वी। स्किपर कंस्ट्रक्शन और एक और**[2]**।**, **आर.के. जैन बनाम भारत संघ मामले**[3] में, यह फैसला सुनाया गया था कि *नियम निसी* जारी करने और रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश जारी करने पर, सरकार या कोई भी प्राधिकरण जो भी अपनी हिरासत में रिकॉर्ड पेश करेगा और उसकी अवज्ञा करेगा, अवमानना के दर्द में होगा। इन स्थापित सिद्धांतों के आलोक में, हमारा विचार है कि यदि आरोपों को सही माना जाता है, तो प्रतिवादी अवमाननाकर्ता को इस न्यायालय की 'आपराधिक अवमानना' करने का दोषी ठहराने के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं हो सकता है।.

[10] हम सबसे पहले अवमाननाकर्ता की ओर से ली गई दलीलों में से एक का जवाब दे सकते हैं कि यदि उसका लिखित स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया जाता है, तो अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (5) के तहत शक्तियों को लागू किया जा सकता है और मामले को आगे के सबूत लेने के लिए सत्र न्यायालय को भेजा जा सकता है।

[11] प्रत्येक उच्च न्यायालय, रिकॉर्ड का एक उच्च न्यायालय होने के नाते, संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत अंतर्निहित और पूर्ण शक्तियों के साथ सन्निहित है कि वह अपनी अवमानना के लिए सरसरी तौर पर दंडित कर सके। न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 जैसे कानूनों द्वारा इन शक्तियों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय एक ऐसी प्रक्रिया का पालन कर सकता है जो अवमाननाकर्ता को अपना बचाव करने के लिए उचित अवसर प्रदान करने के लिए पर्याप्त उचित हो। यह कहना पर्याप्त है कि अधिनियम के तहत शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र का अनादर नहीं करती हैं। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **प्रीतम पाल बनाम मध्य**

---

[2] (1995)3 SCC 507].
[3] (1993)4 एससीसी 199,

<u>प्रदेश उच्च न्यायालय मामले</u>[4] में कहा था, "निहित क्षेत्राधिकार एक विशेष है जो किसी अन्य क़ानून से नहीं लिया गया है" बल्कि केवल अनुच्छेद 215 से लिया गया है और "संवैधानिक रूप से निहित अधिकार को अदालत की अवमानना अधिनियम सहित किसी भी कानून द्वारा कम या निरस्त नहीं किया जा सकता है। विनय चंद्र मिश्रा[5] <u>के मामले में</u>, यह दोहराया गया था कि स्वयं या अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने की संवैधानिक शक्ति एक वैधानिक शक्ति से स्वतंत्र है और अदालत सारांश प्रक्रिया अपनाने और अपराधी को दंडित करने के अपने अधिकार के भीतर होगी यदि अवमानना *प्रथम दृष्टया क्यूरी* की प्रकृति में है।

[12]. न्यायालय की अवमानना (पंजाब और हरियाणा) नियम, 1974 (संक्षेप में नियम) उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 23 के तहत तैयार किए गए हैं और उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के अध्याय VII, खंड -5 में निहित हैं। इसके नियम 8(1) में प्रावधान है कि 'आपराधिक अवमानना' का आरोपी कोई भी व्यक्ति अपने बचाव में हलफनामा दायर कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति अपना दोष स्वीकार करने से इनकार करता है या मुकदमा चलाए जाने का दावा करता है या जब उच्च न्यायालय उसे दोषी ठहराने के लिए दोषी नहीं ठहराता है, तो नियम 8 का उप-नियम (3) उच्च न्यायालय को "दायर हलफनामों के आधार पर या ऐसे और सबूत लेने के बाद आरोप के मामले को निर्धारित करने का अधिकार देता है जो आवश्यक हो सकता है"। हम पाते हैं कि नियमों के नियम 8 (3) और अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (5) पारस्परिक रूप से पूरक हैं और जो दिया जाना आवश्यक है वह अवमाननाकर्ता को सुनने का केवल एक उचित और उचित अवसर है। हम ऐसा इस कारण से कह रहे हैं कि जब भी कोई अवमाननाकर्ता आरोपों से इनकार करता है तो उच्च न्यायालय के लिए रिकॉर्ड या गवाहों को तलब करने की कोई क्षेत्राधिकार बाध्यता नहीं है। गवाहों को तलब करने या आगे सबूत लेने की शक्ति एक सक्षम प्रावधान है ताकि जहां भी अदालत रिकॉर्ड पर अपर्याप्त या कम सामग्री के कारण एक निश्चित राय बनाने में असमर्थ हो, वह अपने दम पर आगे के सबूत ले सकती है या इस कार्य को अधीनस्थ अदालत को सौंप सकती है।

---

[4] 1993 Supp (1) SCC 529
[5] (1995)2 SCC 584

[13] विनय **चंद्र मिश्रा**[6], लॉर्डशिप ने फैसला सुनाया कि यद्यपि अदालत की आपराधिक अवमानना एक अपराध है, लेकिन यह एक *अपराध है और* इसलिए इस तरह के अपराध के लिए अपनाई गई प्रक्रिया, सामान्य कानून और क़ानून कानून दोनों के तहत, यहां तक कि इस देश में भी, हमेशा सारांश रही है। **टी सुधाकर प्रसाद बनाम आंध्र प्रदेश सरकार**[7] मामले में यह दोहराया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत शक्तियां कोई नया क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती हैं और वे केवल पहले से मौजूद स्थिति को स्वीकार करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास अवमानना के लिए संक्षेप में दंडित करने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को छोड़कर प्रक्रिया के किसी भी नियम द्वारा शासित या सीमित नहीं है क्योंकि न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के प्रावधान अनुच्छेद 129 और 215 के अतिरिक्त हैं और उनका अपमान नहीं है और उनका उपयोग उक्त दो अनुच्छेदों द्वारा विचार किए गए अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को सीमित या विनियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।. **पल्लव शेठ बनाम कस्टोडियन और अन्य**[8] मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कानून का कोई प्रावधान है जो अनुच्छेद 129 और / या अनुच्छेद 215 के तहत शक्ति को निरस्त करता है, तो ऐसे कानून को वैध रूप से अधिनियमित नहीं माना जाएगा। हालांकि, सजा की मात्रा या जिसे अवमानना का कार्य माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है या यहां तक कि अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा की अवधि प्रदान करना एक प्रावधान नहीं माना जा सकता है जो संविधान के अनुच्छेद 129 या 215 के तहत अवमानना अधिकार क्षेत्र को निरस्त या बाधित करता है।

[14]प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता को अपने बचाव में अपना जवाब-हलफनामा या अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए जितने अवसर चाहिए, उतने अवसर दिए गए हैं। उनकी ओर से दी गई मौखिक दलीलों को विस्तार से सुना गया है और उनकी लिखित दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया गया है। इसलिए, हमारा विचार है कि अवमाननाकर्ता को अपना बचाव करने के लिए उचित और उचित अवसर प्रदान किया गया है। हम इस बात से भी संतुष्ट हैं

---

[6] (1995)2 SCC 584
[7] (2001)1 SCC 516,
[8] (2001) 7 SCC 549

कि इस मामले में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए किसी पूरक साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लाने की आवश्यकता नहीं है।

[15] महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता (बीआईएस चहल) ने ही 28 मई, 2004 को इस न्यायालय के समक्ष खेल विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव लोंगिया को प्रभावित किया और उनकी आंखों में धूल झोंकी और खेल विभाग के मूल रिकॉर्ड को पेश करने से सफलतापूर्वक रोक दिया?

[16] दोहराव की कीमत पर, हम यह बता सकते हैं कि अवमाननाकर्ता का बेटा उन उम्मीदवारों में शामिल था जिनके डीएसपी के रूप में चयन को चुनौती दी गई थी। रिट-याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि अवमाननाकर्ता ने अपने द्वारा आयोजित शक्तिशाली राजनीतिक पद का दुरुपयोग किया, चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और अपने बेटे के चयन के लिए प्रभाव डाला। इसलिए, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि अवमाननाकर्ता के पास यह विश्वास करने का एक कारण था कि खेल विभाग के रिकॉर्ड से चयन के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकल सकता है और उसे यह देखना चाहिए कि इसे इस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया था।

[17]. इस स्तर पर उन कार्यालय-नोटिंग का संदर्भ उचित होगा, जिन्होंने अवमाननाकर्ता को उनके उत्पादन के खिलाफ प्रोत्साहित किया होगा। खेल और युवा सेवा मंत्री श्री जगमोहन सिंह कांग ने दिनांक 17-02-2004 के अपने नोट के माध्यम से विभिन्न प्रश्न उठाए जिनमें:- (i) कितने पद भरे जाने थे और विशेषज्ञों द्वारा किन मानदंडों, योग्यताओं अथवा पात्रता का निर्धारण किया गया था? (ii) क्या रिक्तियां पहले से ही मौजूद थीं और यदि हां, तो क्या साक्षात्कार के लिए पर्याप्त समय दिया गया था? (iii) इन पदों को पीपीएससी के क्षेत्राधिकार

से कैसे और कब बाहर रखा गया है? (iv) क्या इन पदों को विभागीय चयन समिति द्वारा संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना भरा जा सकता है? और (v) जब मुख्य मामला अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है तो इसके कानूनी निहितार्थ क्या हैं?

[18] इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए खेल एवं युवा सेवा सचिव डीएस बैंस ने दिनांक 20-2-2004 के नोट में कहा कि चयन समिति के सदस्य के रूप में उन्होंने सुझाव दिया था कि वर्तमान स्थान से केवल दो या तीन पद भरे जाने चाहिए क्योंकि साक्षात्कार में उपस्थित अन्य लोग डीएसपी के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं थे। सर्वोत्तम रूप से उन्हें एएसआई/एसआई के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। इस पर अंतिम फैसला समिति को करना है।

[19] फाइल को फिर से प्रभारी मंत्री के समक्ष रखा गया, जिन्होंने दिनांक 21-02-2004 के अपने स्व-भाषी नोट के माध्यम से कहा कि

> उन्होंने कहा, '*मैंने पुलिस विभाग में खिलाड़ियों के संबंध में उठाए गए मुद्दे की बारीकी से जांच की है। पुलिस विभाग में खिलाड़ियों को इस तथ्य के बावजूद रिवर्ट किया जा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का कोई आदेश खेल विभाग के ध्यान में नहीं लाया गया है। मुझे समझ नहीं आता कि गृह विभाग द्वारा कैबिनेट के फैसले की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं। मुझे बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में एक गलत हलफनामा दायर किया गया है और कैबिनेट के फैसले पर प्रकाश नहीं डाला गया है। यदि यह सच है, तो गृह विभाग को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष तत्काल संशोधित आवेदन*

दायर करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इससे अदालत की अवमानना को लेकर चिंता दूर होगी।

मेरी राय में डीएसपी के पद पर नई नियुक्तियां अशोभनीय जल्दबाजी में की जा रही हैं और यह माननीय उच्च न्यायालय की जांच में टिक नहीं पाएगी। यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष 27-2-2004 को आना है। मैं ईमानदारी से सलाह दूंगा कि इस साक्षात्कार प्रक्रिया को रोक दिया जाए और पर्याप्त और उचित सूचना देने के बाद उचित प्रक्रिया के माध्यम से या पीपीएससी के माध्यम से भर्ती की जाए। नियमों के अनुसार केवल उन्हीं खिलाड़ियों (अधिकतम 2 या 3) को नियुक्त किया जा सकता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं और जो अपनी खेल गतिविधियों को जारी रख रहे हैं।

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

एक तरफ हमने खिलाड़ियों के लिए पद सृजित किए हैं, फिर भी उन्हें वापस किया जा रहा है। वे अपनी वरिष्ठता खो रहे हैं। दूसरी ओर, हम ऐसे लोगों को डीएसपी के रूप में भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी खेल साख सीएमएम द्वारा अनुमोदित ज्ञापन की भावना के विपरीत संदिग्ध है।

जल्दबाजी में की जा रही नियुक्तियों से भौहें तन जाएंगी और लोगों को कांग्रेस सरकार की मंशा पर संदेह होगा।

अंत में, मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूं कि आप हस्तक्षेप करें और इस भर्ती को तुरंत रोकें। <u>इन पदों को योग्यता के आधार पर भरा जाना चाहिए और उचित प्रक्रिया का पालन करने और पर्याप्त और उचित नोटिस देने के बाद न्याय सुनिश्चित करना चाहिए</u>।..." (जोर दिया गया)

[20] इसके बाद फाइल को पंजाब के मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया, जिन्होंने मंत्री की आपत्तियों को खारिज कर दिया और चयन प्रक्रिया को मंजूरी दे दी।

[21]जैसा कि खेल विभाग के प्रभारी मंत्री के दिनांक 21-2-2004 के कार्यालय नोट से देखा जा सकता है कि इस मामले की गहराई से जांच करने और प्रक्रियात्मक अनौचित्य, पक्षपात और नियमों के घोर उल्लंघन को उजागर करने के बाद, उन्होंने चल रहे चयनों के खिलाफ विभिन्न आपत्तियां उठाईं। अवमाननाकर्ता, जो मुख्यमंत्री कार्यालय में एक महत्वपूर्ण कार्य संभाल रहा था, स्पष्ट रूप से इन आपत्तियों तक पहुंच थी और इस न्यायालय से खेल विभाग की फाइल को रोकना उसका एक स्पष्ट उद्देश्य था।

[22]. यह कहना पर्याप्त है कि पीपीएससी के दायरे से पदों को बाहर करने, विभागीय चयन समिति का गठन करने, असामान्य रूप से जल्दबाजी में चयन प्रक्रिया या पक्षपात के आरोपों के खिलाफ खेल विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों को न्यायालय ने समर्थन दिया और 15 अक्टूबर, 2004 के अपने फैसले में पूर्ण पीठ द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित किया गया है।

[23] बैंस के हाथ से लिखे गए नोट से पता चलता है कि अवमाननाकर्ता ने उनसे एक से अधिक बार बात की और इस अदालत के समक्ष खेल विभाग के रिकॉर्ड को रोकने पर जोर दिया। यह तथ्य कि उन्होंने बैंस के सेल फोन पर उनसे बात की थी, अवमाननाकर्ता ने अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार किया है।. यह अच्छी तरह से जानते हुए कि सेवा प्रदाता के रिकॉर्ड श्री बैंस के सेल फोन के माध्यम से किए गए कॉल को स्थापित करेंगे, अवमाननाकर्ता ने खेल विभाग के रिकॉर्ड का उत्पादन न करने के खिलाफ मीडिया द्वारा संभावित प्रतिकूल

रिपोर्टिंग पर अपनी चिंता व्यक्त की है। अवमाननाकर्ता की विचारोत्तर याचिका प्रभारी मंत्री के दिनांक 28-5-2004 के कार्यालय नोट से गलत साबित होती है जिसमें अवमाननाकर्ता पर खेल विभाग के कार्यकरण में हस्तक्षेप करने और उच्च न्यायालय के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत करने के विरुद्ध धमकी देने का आरोप लगाया गया है। यदि कोई मंत्री के उपर्युक्त कार्यालय नोट या मुख्यमंत्री को संबोधित अर्ध-सरकारी पत्र की सामग्री को पढ़ता है, तो उक्त डीओ पत्र की वास्तविकता के बारे में कोई और जांच की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे दोनों एक ही स्वर और अवधि रखते हैं।

[24] इस स्तर पर अवमाननाकर्ता के दिनांक 3-1-2005 के उत्तर-हलफनामे का उल्लेख करने का प्रस्ताव है। मेसर्स डीएस लोंगिया और डीएस बैंस (अनुबंध आर -5 और आर -6) के हलफनामों की प्रतियों पर भरोसा करते हुए, उन्होंने कहा कि उनके हलफनामों में कहीं भी श्री लोंगिया को किसी भी खतरे का आरोप नहीं लगाया गया है या अवमाननाकर्ता ने श्री बैंस से उनके सेल फोन पर बात की है और उनसे उच्च न्यायालय से रिकॉर्ड को रोकने का आग्रह किया है। श्री लोंगिया ने दिनांक 1-7-2004 के अपने शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि 28-5-2004 को सुबह लगभग 955 बजे श्री सोबती को अभिलेख सौंपने के तुरंत बाद **फाइल को रोकने के प्रयास किए गए थे। ... कई बार आरोपी को अदालत कक्ष में श्री बीबीएस सोबती के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए कहा गया था और एक बार आरोपी को अदालत कक्ष से बाहर आने के लिए कहा गया था और श्री सोबती के साथ इस मामले पर चर्चा की गई थी।** इस प्रकार, श्री सोबती के अलावा कोई और था जो श्री लोंगिया को रिकॉर्ड का उत्पादन नहीं करने के लिए मजबूर कर रहा था। 28 और 29 मई, 2004 के कार्यालय नोटों के साथ पढ़े गए घटनाओं के अनुक्रम ने धूल को शांत कर दिया है, और इस बात पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है कि यह केवल अवमाननाकर्ता था जो खेल विभाग के रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने से लाभ उठाना चाहता था और वास्तव में उन रिकॉर्डों के उत्पादन में बाधा उत्पन्न की थी।

[25] श्री बैंस ने अपने शपथ पत्र में दिनांक 20-2-2004 के अपने कार्यालय नोट के साथ-साथ 21-2-2004 के प्रभारी मंत्री के कार्यालय नोट को भी स्वीकार किया है। ये ऑफिस-नोट्स, जैसा कि पहले बताया गया है, चयन प्रक्रिया की घृणित गाथा को उजागर करते हैं।

हमारे पास इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि तत्कालीन शक्तिशाली अवमाननाकर्ता ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए पहले तो खेल विभाग के अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन उस स्तर पर विफल होने के बाद, उन्होंने तत्कालीन वरिष्ठ अतिरिक्त एजी श्री बीबीएस सोबती की मिलीभगत और मौन समर्थन से रिकॉर्ड को प्रस्तुत न करने में हेरफेर किया, जिनका आचरण भी पूरे प्रकरण में बोर्ड से ऊपर नहीं रहा है।

[26] इसलिए, हम बेहिचक मानते हैं कि प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता के दुष्कर्म के कारण पूरे रिकॉर्ड को पेश करने के लिए इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की बार-बार अवहेलना की गई।

[27] मौखिक और लिखित प्रस्तुतियों के दौरान, अवमाननाकर्ता ने तत्कालीन सचिव श्री डीएस बैंस के साथ-साथ खेल विभाग के प्रभारी मंत्री श्री जगमोहन सिंह कंग के खिलाफ आरोप लगाए हैं। यह आग्रह किया जाता है कि बैंस श्री सुखबीर सिंह बादल के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं, जिनके साथ उन्होंने एक निजी सचिव के रूप में काम किया था जब वह एक केंद्रीय मंत्री थे और इसलिए, उन लोगों के साथ मिले हुए थे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदनाम करने पर तुले हुए थे। ऊपरी तौर पर यह आरोप सोच-समझकर लगाया गया एक मनगढ़ंत कदम है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अवमाननाकर्ता द्वारा दिनांक 3-1-2005 के अपने पहले उत्तर-शपथ-पत्र में ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है। यदि इस आरोप में रत्ती भर भी सच्चाई होती तो श्री डीएस बैंस को चयन समिति के सदस्य के रूप में शामिल करने का कोई अवसर नहीं आता।

[28] अवमाननाकर्ता की यह दलील कि प्रभारी मंत्री श्री जगमोहन सिंह कंग भी तत्कालीन मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करना चाहते थे, पूरी तरह से निंदनीय और प्रेरित प्रतीत होता है। हमारे जैसे लोकतांत्रिक ढांचे में सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर किसी मंत्री द्वारा अलग-अलग विचारों की अभिव्यक्ति और वह भी केवल कार्यालय की फाइलों में, इसे मुख्यमंत्री के खिलाफ कीचड़ उछालने का कार्य नहीं कहा जा सकता है। सुनवाई के दौरान और लिखित दलीलों में पहली बार आरोप सामने आए हैं। इन आरोपों की पुष्टि के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। तदनुसार, हम इसे अस्वीकार करते हैं।

[29] अवमाननाकर्ता द्वारा अपने दिनांक 30-1-2008 के अतिरिक्त हलफनामे के माध्यम से कथित रूप से बिना शर्त माफी स्वीकार करने के संबंध में दायर याचिका के संदर्भ में, हमारा विचार है कि सबसे पहले, अवमाननाकर्ता द्वारा मांगी गई माफी को किसी भी तरह से बिना शर्त नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस से पहले एक यह स्पष्टीकरण है। यदि बचाव पक्ष की याचिका को इस न्यायालय का समर्थन नहीं मिलता है तो अवमाननाकर्ता चाहता है कि उसकी बिना शर्त माफी स्वीकार की जाए। दूसरे, बिना शर्त माफी मांगना अदालत के आदेशों के उल्लंघन और उल्लंघन का पूरा जवाब नहीं है, खासकर जब अवमाननापूर्ण कार्रवाई जानबूझकर एक जिम्मेदार सार्वजनिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है। हम इन अवमानना कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता के आचरण का उल्लेख करने की अनदेखी नहीं कर सकते। एक विशेष तारीख के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगने के बाद, प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता विदेश चला गया और 14.3.2007, 21.3.2007, 18.4.2007 और 2.5.2007 को जारी किए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहा।. अंतत इस न्यायालय को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के प्रथम सचिव के माध्यम से दिनांक 9-5-2007 के आदेश के माध्यम से जमानती वारंट जारी करने के लिए विवश होना पड़ा और तब ही अवमाननाकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकी। प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता ने कानून की महिमा के प्रति बहुत कम सम्मान प्रदर्शित किया है और जब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था, तब उसने तथाकथित बिना शर्त माफी मांगी, जिसमें ईमानदारी के साथ-साथ ईमानदारी की कमी *थी*।

[30] **एम.बी. सांघी एडवोकेट बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अन्य**[9] के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि, "माफी उनके अपराध के दोषियों को शुद्ध करने के लिए बचाव का हथियार नहीं है; न ही यह एक सार्वभौमिक रामबाण के रूप में काम करने का इरादा है, लेकिन इसका उद्देश्य वास्तविक पश्चाताप का प्रमाण होना है।" **टीएमए पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य**[10]मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि "बिना शर्त माफी के 'मंत्र' *के साथ जो धारणा बन रही है, उसे मिटाना भी उतना ही आवश्यक है,* जो इस न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन और उल्लंघन का पूर्ण जवाब

[9] (1991)3 SCC 600
[10] (1995)4 SCC 1

है। इन सिद्धांतों को **राजीव चौधरी बनाम जगदीश नारायण खन्ना और अन्य** [11]**राजेंद्र सेल बनाम एमपी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन**[12] में भी दोहराया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि: –

> उन्होंने कहा, 'अगर अदालत की घोर अवमानना करने वाले किसी व्यक्ति को यह आभास हो जाए कि उसे हल्के में लिया जाएगा तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी. ऐसे मामले में सहानुभूति पूरी तरह से गलत होगी, दया का कोई मतलब नहीं है। उनकी कार्रवाई निवारक सजा की मांग करती है ताकि यह दूसरों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में कार्य करे और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस तरह की अवमानना की पुनरावृत्ति न हो।

इन मापदंडों से निर्देशित, हम अवमाननाकर्ता की माफी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं।

[31] यह हमें अंतिम विवाद पर ले जाता है, अर्थात्, प्रतिवादी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही केवल कार्यालय-फाइलों में नोटिंग के आधार पर शुरू नहीं की जा सकती थी। आधार के लिए **बिहार राज्य और अन्य बनाम कृपालु शंकर और अन्य**[13] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रखा गया है**।**

[32] **कृपालु शंकर** के मामले (सुप्रा) में, जनसंपर्क अधिकारियों के पद के लिए एक विज्ञापन को उच्च न्यायालय के समक्ष इस आरोप पर चुनौती दी गई थी कि इसे सुभाष चंद्र झा के अनुरूप तैयार किया गया था।. पेशी के लिए तलब किए गए रिकॉर्ड को देखने पर, उच्च न्यायालय ने विचार किया कि चूंकि एक अन्य रिट याचिका में उसके पिछले निर्देशों की अवहेलना की गई थी, इसलिए प्रतिवादियों को कारण बताने के लिए नियम जारी किया गया था कि उन्हें अदालत की अवमानना के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाए। प्रतिवादियों ने दलील दी कि उनके द्वारा इस कारण से कोई अवमानना नहीं की गई है कि फाइलों पर की

---

[11] (1996)1 SCC 508
[12] (2005)6 SCC 109,
[13] (1987)3 SCC 34

गई नोटिंग में विचारों की अभिव्यक्ति, चाहे वह सही हो या गलत, अदालत की अवमानना नहीं है। हालांकि, प्रतिवादियों को उच्च न्यायालय ने इस आधार पर दोषी ठहराया था कि फाइल किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है; यह एक सार्वजनिक संपत्ति है और इसमें व्यक्त की गई राय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की विश्वसनीयता और बाध्यकारी प्रकृति को कम करने के लिए उत्तरदायी हैं।. उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप ने फैसला सुनाया कि अवमानना शुरू करने के उद्देश्य से फाइल में नोटिंग पर भरोसा करना, हमारे विचार से, सरकार के कामकाज को अस्त-व्यस्त करना होगा। यह माना गया था कि एक फाइल में नोटिंग में एक प्रभावी आदेश के रूप में कानून की मंजूरी नहीं थी। यह समीक्षाधीन विषय पर संबंधित अधिकारी द्वारा केवल एक व्यक्तिपरक अभिव्यक्ति है।

[33] जैसा कि देखा जा सकता है, हाथ में मामले के तथ्य पूरी तरह से अलग हैं। इस न्यायालय ने श्री डीएस बैंस और जगमोहन सिंह कंग के कार्यालय नोटों का अध्ययन करने के बाद अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं की है। इसके विपरीत, खेल विभाग के रिकॉर्ड पेश करने के उसके निर्देशों की घोर अवहेलना के कारण इन कार्यवाहियों को शुरू किया गया। कार्यालय नोट ो का हवाला दिया गया है और अवमाननाकर्ता के बचाव को झूठा साबित करने के लिए इस बात पर भरोसा किया गया है कि उन्होंने रिकॉर्ड को रोकने के लिए श्री डीएस बैंस और डीएस लोंगिया पर कोई दबाव नहीं डाला था या उन्होंने श्री बीबीएस सोबती के सेल फोन पर अदालत कक्ष के अंदर या बाहर उन्हें धमकी नहीं दी थी।

[34] चर्चा के आलोक में और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, हम मानते हैं कि प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता 28.5.2004 को इस न्यायालय के समक्ष खेल विभाग के रिकॉर्ड को पेश करने से रोकने के अपने कार्य द्वारा न्यायिक कार्यवाही की प्रक्रिया के साथ-साथ न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने और बाधित करने का दोषी है। इस प्रकार, न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (सी) (ii) और (iii) के अर्थ के भीतर इस न्यायालय की 'आपराधिक अवमानना' की गई है।

[35] इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और यहां तक कि जब सजा के सवाल पर अवमाननाकर्ता को अलग से सुनने के लिए हमारे लिए कोई कानूनी

बाध्यता नहीं है, हम उसे ऐसा करने का अवसर देना उचित समझते हैं। यह मामला अब 21 अगस्त, 2009 को सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

आपराधिक मामले में मेहताब एस गिल, जसबीर सिंह और जेजे सूर्य कांत द्वारा दिनांक 20-01-2010 को पारित आदेश। 2009 की संख्या 64675

अनुपम गुप्ता, एमिकस क्यूरी

अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता और के.एस.नलवा अवमाननाकर्ता के वकील

(36) हमारे इस आदेश को 29 मई, 2009 के आदेश की निरंतरता में पढ़ा जाएगा, जिसके तहत प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता को 28 मई को इस न्यायालय के समक्ष खेल विभाग के रिकॉर्ड को पेश करने से रोकने के अपने कृत्य से न्यायिक कार्यवाही की प्रक्रिया के साथ-साथ न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने और बाधित करने का दोषी ठहराया गया था। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (सी) (ii) (iii) के अर्थ के भीतर न्यायालय की 'आपराधिक अवमानना' की गई थी।

(37 यद्यपि हमारे लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी, फिर भी हमने मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सजा के प्रश्न पर अवमाननाकर्ता को अलग से सुनना उचित समझा और तदनुसार, मामले को उस उद्देश्य के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। इस बीच, 29 मई, 2009 के हमारे आदेश की एक प्रति न्यायमित्र के साथ-साथ प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता के वकील को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

(38) अवमाननाकर्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 29 मई, 2009 के हमारे आदेश के खिलाफ 2009 की आपराधिक अपील संख्या 1589 को प्राथमिकता दी, जिसे उन्होंने वापस ले लिया, हालांकि, इस आदेश को इस न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के साथ फिर से चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ।

(39) हमने अवमाननाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक अग्रवाल और अनुपम गुप्ता को सजा की अवधि के बारे में न्यायमित्र के रूप में सुना है और अभिलेखों के साथ-साथ अवमाननाकर्ता द्वारा 17 दिसम्बर, 2009 को दायर हलफनामे का भी अध्ययन किया है।

(40) पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह संक्षेप में देखा जा सकता है कि अवमाननाकर्ता का बेटा (बिक्रम इंद्रजीत सिंह चहल) उन 7 उम्मीदवारों में से एक था, जिन्हें विभागीय चयन समिति द्वारा खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पुलिस उपाधीक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए चुना गया था। अवमाननाकर्ता उस समय पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के रूप में उच्च पद पर थे और कथित तौर पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त कर रहे थे।. पूर्ण पीठ के समक्ष सूचीबद्ध रिट याचिकाओं के बैच में इस न्यायालय के समक्ष चयन को चुनौती दी गई थी और उन मामलों की लंबी सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि अवमाननाकर्ता ने खेल विभाग, पंजाब सरकार के मूल रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने से रोकने की दृष्टि से विवादित चयन को रद्द करने की संभावना थी। खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को उन रिकॉर्डों को प्रस्तुत करने के खिलाफ धमकी दी, भले ही उन्हें पेश करने के लिए विशिष्ट निर्देश थे। इसलिए, पीठ ने अवमाननाकर्ता और खेल विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ इस न्यायालय की 'आपराधिक अवमानना' के लिए स्वत: कार्रवाई की, जिसे बाद में आरोपों से मुक्त कर दिया गया और आरोपमुक्त कर दिया गया, जैसा कि शुरू में देखा गया था, अवमाननाकर्ता को बाद में इस न्यायालय के समक्ष खेल विभाग के रिकॉर्ड के उत्पादन को रोकने के अपने कार्य से न्यायिक कार्यवाही की प्रक्रिया में बाधा डालने का दोषी ठहराया गया था।

(41) दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 के अपने हलफनामे में और सुनवाई के दौरान भी यह स्वीकार किया गया है कि (i) अवमाननाकर्ता ने, जैसा कि उसने पहले किया था, फिर से बिना शर्त और बिना शर्त माफी मांगी है और स्वयं को इस न्यायालय की दया पर छोड़ दिया है; (ii) वह पहले से ही पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से अवमानना कार्यवाही का सामना कर रहा है, जिसमें वह देश से बाहर होने के दौरान एक छोटी अवधि को छोड़कर इस न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित हो रहा है; (iii) अवमाननाकर्ता 61 वर्ष का है और हृदय, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप और गर्भाशय ग्रीवा सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है; (iv) अवमाननाकर्ता कानून का पालन करने वाला नागरिक है और न्यायपालिका की संस्था के लिए उसके मन में सर्वोच्च सम्मान है; (v) पंजाब में सरकार बदलने के साथ राजनीतिक प्रतिशोध के शिकार के रूप में, अवमाननाकर्ता को पंजाब पुलिस द्वारा विभिन्न आपराधिक मामलों में पहले ही

फंसाया और गिरफ्तार किया जा चुका है और नियमित जमानत पर रिहा होने से पहले लगभग तीन महीने की पुलिस और न्यायिक हिरासत का सामना करना पड़ा है; (vi) अवमाननाकर्ता को किसी भी कानून के तहत किसी अपराध के लिए कभी दोषी नहीं ठहराया गया है।

(42) अवमाननाकर्ता के वकील ने आगे आग्रह किया कि 17 दिसंबर, 2009 के हलफनामे में संक्षेप में उल्लिखित कम करने वाली परिस्थितियों के कारण, यदि अवमाननाकर्ता को हिरासत की सजा से बचाया जाता है, तो न्याय का उद्देश्य पर्याप्त रूप से पूरा होगा, हालांकि उस पर अनुकरणीय लागत/ जुर्माना लगाया जा सकता है।

(43) आधार **को सुंकारा लक्ष्मीनरसम्मा और अन्य बनाम सागी सुब्बा राजू और अन्य** [14]मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर रखा गया है, जिसमें अवमाननाकर्ता, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामे में गलत बयान देने का दोषी पाया गया था, पर सजा के रूप में 25,000 रुपये का अनुकरणीय जुर्माना लगाया गया था।.

(44) दूसरी ओर, न्यायमित्र ने 29 मई, 2009 के हमारे आदेश के पैरा 29 का हवाला दिया, जिसमें अवमाननाकर्ता द्वारा पहले की गई कथित बिना शर्त माफी को उसके दुर्व्यवहार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया गया था, जो एक विशेष तारीख के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त करने के बाद विदेश चला गया और इस न्यायालय द्वारा बार-बार जारी निर्देशों के बावजूद नहीं आया जब तक लंदन में भारतीय उच्चायोग के प्रथम सचिव के माध्यम से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी नहीं किए गए थे। यह बताया गया है कि अवमाननाकर्ता उस समय एक उच्च सरकारी पद पर था जब उसने कानून की महिमा को कम किया और खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर आतंक का शासन शुरू करने के लिए तिरस्कारपूर्ण आचरण का सहारा लिया। अवमाननाकर्ता द्वारा अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग, यह आग्रह किया गया था, इतिहास में असमान है और इस न्यायालय के लिए सजा देने के मामले में कोई उदारता दिखाने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है।

---

[14] **(2009) 7 S.C.C. 460**

(45) न्यायमित्र *ने* तमिलनाडु मामले में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय पर भी भरोसा किया। **गोडावर्मन थिरुमुइपाद के माध्यम सेन्यायमित्र बनाम अशोक खोट और एक अन्य**[15]**,** इसमें मंत्री और महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग के प्रधान सचिव को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना करते हुए और अवमाननाकर्ताओं द्वारा धारण किए गए उच्च पदों के कारण निर्लज्ज और जानबूझकर कार्य करते हुए पाया गया। उन्हें एक महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी।

(46) यह स्पष्ट है कि अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति का उपयोग केवल इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि यह सिद्ध कदाचार द्वारा आवश्यक है या ऐसा करना वैध है। इस तरह की कार्रवाई अनिवार्य रूप से कानून के शासन को बनाए रखने के लिए की जाती है। न्यायालय की अवमानना के विशेष क्षेत्राधिकार को संयम से और सम्मोहक परिस्थितियों में स्व-लगाए गए प्रतिबंधों के साथ केवल तभी लागू किया जाता है जब इस तरह के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में विफलता न्याय के प्रशासन या न्यायालय की गरिमा को बाधित करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बार-बार यह व्यवस्था दी है कि *अवमानना के कानून का उद्देश्य न्यायाधीशों को व्यक्तिगत रूप से सही ठहराना नहीं है, बल्कि न्यायपालिका की संस्था में जनता के अभ्यस्त विश्वास को कम करने से उनकी रक्षा करना है। ... "*

(47) हमारी संवैधानिक व्यवस्था में, न्यायपालिका को एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है जिसे किसी भी कीमत पर निडर होकर निभाया जाना चाहिए। राज्य के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के साथ-साथ इसकी स्वतंत्रता की संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ, न्यायपालिका को एक उच्च पायदान पर रखा गया है। इसलिए, राज्य के अन्य अंगों से अपेक्षा की जाती है कि वे न्याय प्रदान करने वाली प्रणाली के ईश्वरीय कर्तव्य को समझें और उसका सम्मान करें और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अपने कार्यात्मक कार्यों की शुद्धता के साथ छेड़छाड़ न करें, जो अन्य राज्य अंगों के मामलों के शीर्ष पर हैं, इसलिए,

---

[15] **2006) 5 S.C.C. 1**

उनके द्वारा प्राप्त उच्च पदों के आधार पर, न्यायपालिका को बाहरी और बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए एक बहुत ही विशेष और पवित्र कर्तव्य है।

(48) अवमाननाकर्ता उस समय राज्य में उच्च पद पर था। चाहे उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया हो या नहीं, तथ्य यह है कि वह राज्य की शक्ति के प्रमुख धारकों में से एक थे। अवमाननाकर्ता के बेटे और छह अन्य उम्मीदवारों के चयन को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में, राज्य तंत्र की निष्पक्षता और निष्पक्षता, अर्थात् वरिष्ठ नौकरशाहों की चयन समिति, दांव पर थी और इसकी कार्रवाई संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई थी। विभागीय चयन समिति के खिलाफ पक्षपात और भाई-भतीजावाद के गंभीर आरोप थे। अवमाननाकर्ता, जिसके खिलाफ हर आरोपी उंगली उठाई जा रही थी, से उम्मीद की जाती थी कि वह पूर्ण संयम बनाए रखेगा और कानून को अपना काम करने के लिए बाध्य करेगा। वह आगे आ सकते थे और विवेकपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय की सहायता कर सकते थे और उनके द्वारा इस तरह के उपाय से राज्य तंत्र की अन्यथा खंडित छवि में सुधार होता।

(49) संकट की इस घड़ी में चरित्र प्रदर्शनी से कम चिंतित, अवमाननाकर्ता, जिसने कथित तौर पर पूरी चयन प्रक्रिया का अपहरण कर लिया था, ने आगे बढ़कर सरकारी रिकॉर्ड के उत्पादन में बाधा डाली, जिनकी अदालत को गुण-दोष के आधार पर फैसला करने के लिए सख्त जरूरत थी। अवमाननाकर्ता ने न केवल खेल विभाग के प्रधान सचिव और संयुक्त सचिव को फटकार लगाई कि उनका दृष्टिकोण उनके बेटे के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिकॉर्ड पेश करने से रोकने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह से पहले से ही उच्च न्यायालय के परिसर में लाए गए मूल रिकॉर्ड को हेरफेर से ले जाया गया और उन्हें नष्ट भी किया जा सकता था, लेकिन उच्च न्यायालय के बार-बार हस्तक्षेप से पता चलता है कि अवमाननाकर्ता अपने द्वारा कब्जा किए गए पद के नैतिक मानकों को बनाए रखने में बुरी तरह विफल रहा।.

(50) अदालतें उदारता का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण, प्रतिशोध के साथ कार्य नहीं करती हैं और अक्सर अपने प्रेरित हमलावरों को भी माफ कर देती हैं।. हालांकि, अवमाननाकर्ता इस

कारण से एक अपवाद है कि उसने अदालत के अधिकार को चुनौती दी, जब केवल "दूर के परिवार में कुछ मृत्यु" के कारण एक तारीख के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिलने के बाद, उसने किसी न किसी बहाने से पेश होने से इनकार कर दिया। अवमाननाकर्ता को 14 मार्च, 2007 के आदेश के तहत हलफनामे के साथ एक आवेदन दायर करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें उस तारीख के लिए उपस्थित होने से छूट मांगी गई थी, जब वह अनुपस्थित रहे थे और आगे उन्हें सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था। पूर्ण पीठ को बाद में पता चला कि अवमाननाकर्ता 28 फरवरी, 2007 को पहले ही ब्रिटेन जा चुका था, जहां उसे 15 मार्च, 2007 को कथित तौर पर सीने में दर्द हुआ और उसने पेशी से और छूट मांगने के लिए ब्रिटेन से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र भेजा।

(51) उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र की जांच करने के बाद, पीठ ने *दिनांक 21 मई, 2007 के आदेश* के तहत कहा कि *"हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, सिवाय इसके कि यह एक अधिग्रहित प्रमाण पत्र प्रतीत होता है। किसी भी तरह से, न्याय के हित में, हम प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता को 18 अप्रैल, 2007 को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश देते हैं, जिसमें विफल रहने पर इस न्यायालय द्वारा "उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए" दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।*

(52) इसके बाद अवमाननाकर्ता ने 18 अप्रैल, 2007 को डॉ रॉबिन जे, नॉर्थ कोट, एमडी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा जारी एक और प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इस पर विचार करने के बाद, पीठ ने उन्हें 2 मई, 2007 को न्यायालय में उपस्थित होने का पुन निर्देश दिया।.

(53) तथापि, अवमाननाकर्ता 2 मई, 2007 को उपस्थित नहीं हुआ। इसके बजाय, उन्होंने पेशी से छूट की मांग करते हुए एक आवेदन दिया और इस बार ग्लासगो के रॉस हॉल अस्पताल के डॉ एच एटिबा द्वारा जारी प्रमाण पत्र से समर्थन मांगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि पर विचार करने के बाद, पीठ ने टिप्पणी की: " न तो कोई जांच रिपोर्ट, जिसके आधार पर डॉ मधोक द्वारा यह राय दी गई है, संलग्न की गई है, और न ही विशेषज्ञ सलाहकार हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ एच एतिबा द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है। ऐसा लगता है कि एक

बार फिर मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर स्थगन की मांग करने का प्रयास किया जा रहा है. ... "

(54) तत्पश्चात्, अवमाननाकर्ता द्वारा ब्रिटेन से भेजे गए संपूर्ण चिकित्सा रिकार्ड पर विचार किया गया और दिनांक 9 मई, 2007 के स्व-भाषी आदेश के माध्यम से जो निष्कर्ष निकाला गया वह इस प्रकार है अनुलग्नक आर-3 से, जो हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, हम पाते हैं कि 5 अप्रैल, 2007 को रॉस हॉल अस्पताल के कुछ श्री रॉबिन ने ईटीटी और एंजियोग्राम की सलाह दी थी। एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद ऐसा क्यों नहीं किया गया, यह स्पष्ट क्यों नहीं किया गया? यदि दिल अस्थिर है, तो एक मरीज डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहेगा जो छुट्टी पर है। यदि कोई हृदय संबंधी समस्या है, तो रोगी के साथ-साथ उपस्थित डॉक्टर एंजियोग्राम या रंगीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करके हृदय की स्थिति जानना चाहेंगे। संलग्न प्रमाण पत्र आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। हमारी सुविचारित राय है कि प्रतिवादी अदालत में उपस्थित होने से बचने की कोशिश कर रहा है और प्रस्तुत प्रमाण पत्र इस न्यायालय में पेश नहीं होने की चाल है। प्रतिवादी के खिलाफ आरोप गंभीर है, अर्थात्, आपराधिक अवमानना। इसलिए, हम प्रतिवादी के खिलाफ 20,000/- रुपये की राशि में गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी करते हैं, जिसे लंदन में भारतीय उच्चायोग के प्रथम सचिव के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।

(55) उपर्युक्त बलपूर्वक उठाए गए कदमों के अनुसरण में ही अवमाननाकर्ता की उपस्थिति 30 मई, 2007 को सुनिश्चित की जा सकी।

(56) हमने बेहिचक और संक्षेप में घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में संदर्भित किया है ताकि रिकॉर्ड को सीधा रखा जा सके और 29 मई, 2009 के आदेश के पैरा 29 में पहले से ही निकाले गए निष्कर्षों को दोहराया जा सके और कहा जा सके कि अवमाननाकर्ता द्वारा इस न्यायालय की 'आपराधिक अवमानना' करने का दोषी पाए जाने से पहले या बाद में दिया गया कथित बिना शर्त माफी 'पश्चाताप' या 'सद्भावना' का कार्य नहीं है। इस तरह की माफी, अच्छी तरह से डिजाइन किए गए बचाव के एक हिस्से के रूप में, अक्सर एक गैर-प्रतिशोधी अदालत

के भावनात्मक और न्यायसंगत दृष्टिकोण को जगाने के लिए की जाती है ताकि दंडात्मक कार्यवाही के निवारक परिणामों से बचा जा सके। हम 17 दिसम्बर, 2009 के हलफनामे में भी किसी पश्चाताप या सच्चे पश्चाताप का पता लगाने में असमर्थ हैं और अवमाननाकर्ता द्वारा दी गई तथाकथित बिना शर्त माफी को अस्वीकार करते हैं।.

(57) सजा की मात्रा के मुद्दे पर बात करना, यह सच हो सकता है क्योंकि यह उसके विद्वान वकील द्वारा दिखाए गए झुकाव से भी प्रतीत होता है कि अवमाननाकर्ता एक अमीर व्यक्ति है और मौद्रिक संदर्भ में सजा भुगतने के लिए बहुत खुश होगा, अर्थात्, जुर्माना लगाना।

(58) हमने पूरे मुद्दे पर सोच-समझकर विचार किया है और हमारा विचार है कि सजा के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। आपराधिक न्यायशास्त्र के एक अभिन्न अंग के रूप में सजा का मतलब गलत करने वाले को सुधारने और समाज के लिए एक निवारण के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करना है। सजा का अधिकार क्षेत्र दोनों को हासिल करने के लिए तरसता है, इसलिए, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर 'हिरासत' या 'आर्थिक' सजा की मात्रा अलग-अलग हो सकती है।

(59) इन सिद्धांतों को लागू करते हुए और संबंधित समय पर अवमाननाकर्ता द्वारा धारण किए गए उच्च पद पर विचार करते हुए, उसके द्वारा की गई 'अवमानना' की प्रकृति और इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान उसके आचरण को ध्यान में रखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि केवल जुर्माना लगाना पूरी तरह से अपर्याप्त सजा होगी और न्याय के उद्देश्य को नष्ट कर सकती है। परिस्थितियों की समग्रता में, हम अवमाननाकर्ता को सात दिन के नागरिक कारावास की सजा देते हैं, और उस पर 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) का जुर्माना भी लगाते हैं।

(60) हालांकि, अवमाननाकर्ता को अपील करने के अपने अधिकार का उपयोग करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से, यदि ऐसा सलाह दी जाती है, तो हम निर्देश देते हैं कि सात दिनों की सिविल कारावास की सजा 90 दिनों की अवधि के लिए निलंबित रहेगी, बशर्ते अवमाननाकर्ता

इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना जमा करे।

(61) अवमाननाकर्ता रजिस्ट्री में जुर्माना जमा करने की प्राप्ति के साथ एक अनुपालन हलफनामा दायर करेगा।

(62) दस्ती।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

ओमेश

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी